

आज पञ्जाबली वकील वादी के प्राथमिक पत्र द्वारा
 न्यायालय से तलब की गई। वादी श्रीमती
 मोहना देवी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद
 सादर स्ट्रोक्रेट ने वकालतनामा पेश किया
 था.मि. है। वादी मोहना देवी वाद को NOT-
 PRESS कराना चाहती है। अतः वादी का
 वाद को NOT PRESS में स्थानित किया जाता
 है। पञ्जाबली नम्बर से कम हो कर वाद
 तब भी ल दायित्व दफ्तर है। सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
 अलवर

पृ. 3.

 मोहन

पहलान

